(4)

न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(पी0सी0 बेरवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 34/2016

दायर दिनांकः 23.12.2016

निर्णय दिनांक 28.11.2017

—:अनवानः—

श्री मीठालाल पिता चुन्नीलाल जाति शर्मा आयु 50 वर्ष निवासी आकोदड़ा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

———अपीलांट्स

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साबह नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

———रेस्पोण्डेंट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, साहब नाथद्वारा मुकदमा नं0 28/2016 नामान्तरण निर्णय दिनांक 08.12.2016

उपस्थितः—

1— श्री गजेन्द्र टांक,अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश चन्द्र बौल्या,राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

::निर्णय::

अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार,नाथद्वारा द्वारा मुकदमा नं0 28/2016 में पारित किये गये निर्णय दिनांकः 08.12.2016 से व्यथित होकर इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांकः 22.12.2016 को यह नामान्तरण अपील पेश की गयी हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के द्वारा यह निवेदन किया गया कि ग्राम आकोदड़ा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में परिशिष्ठ अ,ब व स में वर्णित कृषि भूमियां स्थित हैं, जिनमें से परिशिष्ठ—अ में खाता संख्या नये 430 पुराने 399 में आराजी नम्बर 2765 रकबा 00.16 बीघा, 2766 रकबा 00.12 बीघा, परिशिष्ठ—ब में खाता संख्या नये 431 पुराने 400 आराजी नम्बर 2269 रकबा 01.13 बीघा तथा परिशिष्ठ—स में खाता संख्या नये 465 पुराने 433 आराजी नम्बर 528 रकबा 00.10 बीघा,आराजी नम्बर 529 रकबा 00.02 बीघा भूमि हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमियों में कंकु बेवा नंदराम का **परिशिष्ठ—अ** में 1/2 हिस्सा, **परिशिष्ठ—ब** में 1/2 हिस्सा व **परिशिष्ठ—स** में 1/3 हिस्सा निहित हैं। चूंकि कंकु की मृत्यु दिनांकः 15.05.2005 को हो चुकी हैं किन्तु राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में परिशिष्ठ अनुसार कंकुबाई का नाम दर्ज हैं और चूंकि उक्त कंकुबाई की मृत्यु के पश्चात उक्त जमीन कंकुबाई के वारिसान नहीं होने के कारण विरासत से किसी भी व्यक्ति द्वारा नामान्तरण अपने नाम पर दर्ज नहीं कराया क्योंकि उनके जाईन्दा कोई वारिस नहीं थे। कंकु बेवा नंदराम ब्रहम्ण के खानदान के सजरा अनुसार कंकु अपीलांट के मोटी बाई लगती थी व मुझ मीटालाल को अपने जीवनकाल में कंकुबाई ने सामाजिक रुप से गोद ले रखा था और उनकी मृत्यु पर उनका क्रियाकर्म भी मीठालाल ने ही किया तथा उनकी सेवंत्री गांव में ठाकुर जी का जो ओसरा था वह भी मीठालाल के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात मीटालाल करता चला आ रहा हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र,जमाबंदी की फोटो प्रति,ओसरे की फोटो प्रति एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों के शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरण हेतु आवेदन दिनांकः 18.01.2016 को प्रस्तुत किया उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांकः 04.03.2016 को पत्रावली कायम की जाकर दिनांक 15.03.2016 को अपीलार्थी ने अपने स्वयं के बयान एवं गवाहान के बयान अधीनस्थ न्यायालय में करवाये। दिनांकः 23.11.2016 को बहस सुनी गयी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के आवेदन को खारिज कर भारी विधिक भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का आकोदड़ा ग्रम पंचायत पाखण्ड द्वारा प्रस्तुत मौके की रिपोर्ट दिनांकः 29.01.2016 पर भी विधिपूर्वक गौर नहीं किया जबकि पटवारी हल्का

द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया कि " इन भूमियों का नामांतरण कंकु बेवा नंदराम एवं पिथु बेवा भूरा सेवक से मीटालाल पिता चुन्नीलाल ब्रहम्ण के नाम दर्ज किया जा सकता हैं।" अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र इस आधार पर अपीलार्थी का नामांतरण आवेदन अस्वीकार कर दिया कि गोदनामा का कोई दस्तावेज नहीं हैं,जबकि गोद मौखिक रुप से लिया गया एवं गांव के इतने व्यक्तियों के सामने लिया गया। गांव के करीब 10 व्यक्तियों के बयान व शपथ–पत्र हैं,इसके अलावा अपीलार्थी ही कंकु बेवा एवं पिथु बेवा के मकान में ही निवास कर रहा हैं उनकी अन्य भूमियों को खा कमा रहा हैं,उनके ठाकुर जी के ओसरे सेवंत्री गांव की सेवा भी अपीलार्थी कर रहा हैं तथा कंकु का क्रियाकर्म भी अपीलार्थी द्वारा ही किया गया था। इन सब तथ्यों का भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिपूर्वक गौर नहीं किया और अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा अपीलार्थी का माना फिर भी नामान्तरण मौखिक गोदनामा के आधार पर दर्ज करने से इन्कार कर अपीलार्थी का आवेदन खारिज कर दिया जो कि भारी विधिक भूल हैं। अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 08.12.2016 को अपास्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमियों का नामान्तरण अपीलांट के नाम दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोण्डेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपीलीय मेमों में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए मुख्य रुप से यह बताया कि कंकु के कोई जाइन्दा वारिस नहीं हैं और अपीलांट के कंकु मोटी बाई लगती थी तथा अपीलांट को मौखिक रुप से गोद लिया गया था । सामाजिक रिति रिवाज अनुसार कंकु के सारे सामाजिक क्रियाकर्म सम्बंधी कार्य अपीलांट के द्वारा किये गये तथा वादग्रस्त आराजीयात में कंकु के हिस्से की भूमियों पर अपीलांट का ही कब्जा होकर खा कमा रहा हैं तथा उन्हीं के मकान में निवास कर रहा हैं। कंकु के सेवंत्री गांव के ठाकुर जी के ओसरा जो आता हैं वह भी अपीलांट ही करता आ रहा हैं। अपीलांट को कंकु के द्वारा मौखिक रुप से गोद लिया हैं और इस आधार पर एक मात्र वारिस हैं इस तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय में गांव के मौतबीरान द्वारा दिये गये बयान एवं शपथ–पत्र से होती हैं साथ ही उक्त मामले में हल्का पटवारी द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्टतः यह तथ्य अंकित किया कि " इन भूमियों का नामांतरण कंकु बेवा नंदराम एवं पिथु बेवा भूरा सेवक से मीटालाल पिता चुन्नीलाल ब्रहम्ण के नाम दर्ज किया जा सकता हैं।" वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा हैं और अपीलांट ही एक मात्र वारिस हैं और अपीलांट के द्वारा ही कंकु के मृत्यु पश्चात समस्त सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया गया और गांव के मौतबीरान के बयानो व शपथ–पत्रों से यह स्पष्ट होते हुए भी, कि अपीलांट को गोद मौखिक रुप से लिया गया हैं,इसके उपरान्त भी नामान्तरण हेतु अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना कानूनन गलत हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 08.12.2016 को अपास्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमियों का नामान्तरण अपीलांट के नाम दर्ज करवाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा मृतक कंकु की वादग्रस्त आराजीयात में आने वाली हिस्सा भूमि को अपने नाम पर मौखिक रुप से गोद लिये जाने का उल्लेख कर इस आधार पर राजस्व अभिलेख में नामान्तरण चाहे जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया गया। किंतु कंकु द्वारा श्री मीठालाल अपीलांट को गोदपुत्र घोषित करने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं और न ही प्रार्थी/अपीलांट इसे प्रस्तुत कर सका हैं, जबकि यह स्वयं अपीलांट का दायित्व था। इस आधार पर अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया गया जो कि कानूनन सही हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य हैं।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने तहसीलदार,नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 08.12.2016 को इस आधार पर चुनोति दी हैं कि मृतक कंकु के कोई जाइन्दा वारिस नहीं हैं। कंकु का अपीलांट मौखिक रुप से गोद लिया पुत्र हैं तथा कंकु की मृत्यु के समय समस्त प्रकार सामाजिक कियाकर्म अपीलांट के द्वारा किये गये और कंकु की भूमियों पर अपीलांट ही काबिज हैं तथा वह कंकु के मकान में ही निवासरत हैं और कंकु के सेवंत्री गांव के ठाकुर जी के ओसरे की सेवा पूजा भी वहीं करता चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय में गांव के मौतबीरान के द्वारा दर्ज कराये गये बयानों व शपथ–पत्रों से भी इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि होती हैं कि अपीलांट ही कंकु का गोद लिया हुआ होकर वारिस हैं फिर भी अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया जो कूननन सही नहीं हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हैं कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मृतक कंकु के हिस्से की परिशिष्ट अ,ब व स में वर्णित आराजीयात में आने वाली हिस्सा भूमि को अपने नाम पर मौखिक रुप से गोद पत्र के आधार पर नामान्तरण चाहा गया। परिशिष्ट स में वर्णित आराजीयात सं0 528 व 529 के सम्बंध में वादी श्री मोहनलाल पिता स्व0 श्री पृथ्वीराज उर्फ परथा जी सेवग एवं श्रीमती सुन्दरबाई पत्नी स्व0 श्री पृथ्वीराज उर्फ परथा जी सेवग निवासीगण आकोदड़ा द्वारा घोषणात्मक वाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हुआ हैं जिसमें अपीलांट द्वारा पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया था। इसी प्रकार स्वयं अपीलांट के द्वारा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा में पेश किये गये प्रकरण संख्या 98/15 ई0दी0 एवं 104/15 मु0दी0 को अपीलांट के विड्रा प्रा0पत्र पर खारिज किया गया हैं जो अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से पुष्टि होती हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात में कंकु के हिस्से की भूमियों को मौखिक गोद रखे जाने के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण चाहता हैं जबकि यह प्रमाणित हैं कि अपीलांट की ओर से कोई गोद लिये जाने सम्बंधी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में व इस न्यायालय में भी पेश नहीं किया गया जो कि कूननन आवश्यक होता हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की ओर से श्रीमति कंकु की द्वारा अपीलांट मीठालाल को गोद पुत्र घोषित करने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र को खारिज किये जाने में कोई त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहिन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 08.12.2016 को यथावत रखा जाता हैं।

(पी0सी0 बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0सी0बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद